जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-26.06.2025**

थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाड़ा में हुयी गौकशी की घटना में लिप्त 01 गौ-तस्कर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

ज्ञात हो कि दिनांक 23.04.2025 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाड़ा में कोतवाली शामली पुलिस को गौकशी की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर आवश्यक कार्यवाही करते हुये घटना में लिप्त व्यक्तियों की पहचान कर अभियुक्तगण के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए घटना में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। उक्त घटना को लेकर आमजनमानस में काफी रोष व्याप्त था। इनके इस कृत्य के कारण लोक-व्यवस्था भंग होने की सम्भावना थी।

दिनांक 23.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार गौकशी की रोकथाम एवं गौतस्करों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाड़ा में हुयी गौकशी की घटना में लिप्त 01 गौ-तस्कर इसाम उर्फ हिसाम पुत्र शमीम निवासी आजाद चौक, मौहल्ला काजीवाड़ा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली को पुलिस मुठभेड के दौरान आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व कटान करने के उपकरण व मोटर साईकिल बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई थी।

इसी क्रम में दिनांक 26.05.2025 को उपरोक्त मामले में प्रभावी कार्यवाही करते हुए गौ-तस्कर इसाम उर्फ हिसाम पुत्र शमीम निवासी आजाद चौक, मौहल्ला काजीवाड़ा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध जिलाधिकारी शामली के आदेशानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A) 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया था।

दिनांक 28.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार गौकशी की रोकथाम एवं गौतस्करों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाड़ा में हुयी गौकशी की घटना में वांछित 25,000/- रुपये के ईनामी गौ-तस्कर सलमान पुत्र रफीक निवासी मौहल्ला आजाद चौक काजीवाडा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली को अवैध हथियार मय कारतूस व एक मोटर साईकिल सहित पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 26.06.2025 को उपरोक्त मामले में प्रभावी कार्यवाही करते हुए गौ-तस्कर सलमान पुत्र रफीक निवासी आजाद चौक, मौहल्ला काजीवाड़ा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध जिलाधिकारी शामली के आदेशानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A) 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया है।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ सामान व अवैध चाकू बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 25.06.2025 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत श्रीमती राजो पत्नी पूरण सिंह निवासी ग्राम मतनावली के घर से गांव के रोबिन पुत्र नीरपाल व राजेश पुत्र देवी द्वारा गेंहू व चावल चोरी करने के सम्बन्ध में वादिया राजो उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 26.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा 02 चोरो को चोरी के सामान व अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1.रोबिन पुत्र ब्रह्मपाल उर्फ नीरपाल निवासी ग्राम मतनावली थाना कांधला जनपद शामली।

2.राजेश पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम मतनावली थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किये हुए गेंहू 110 कि0ग्रा0।

2.चोरी किये हुए चावल 20 कि0ग्रा0।

3.अवैध चाकू (अभियुक्त रोबिन)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 तनुज कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

3.का0 संजय कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

4.का0 अर्जुन थाना कांधला जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मामले में वाछिंत 02 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 25.06.2025 को थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत दहेज हत्या के संबंध में मृतका के परिजनो द्वारा थाना थानाभवन पर लिखित तहरीर दी गई । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक थानाभवन को दिये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 26.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मामले में वांछित 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता-

1.बबलू पुत्र सतीश निवासी ग्राम भनेडा उद्दा थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.मुनेश पत्नी सतीश निवासी ग्राम भनेडा उद्दा थाना थानाभवन जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.का0 विकास कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.म0का0 रविता चौधरी थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मामौर में हुई व्यक्ति की हत्या के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की निशादेही पर अवैध तमंचा मय कारतूस व अवैध छुरी बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 16.06.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मामौर के जंगल में देवेन्द्र पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम कुराड थाना सनौली जनपद पानीपत हरियाणा को सतीश प्रधान के ट्यूबेल के पास जंगल ग्राम मामौर में गोली/चाकू मारने की घटना घटित हुई थी घटना के दौरान इस्लाम पुत्र अलीमुद्दीन निवासी ग्राम मामौर थाना कैराना जनपद शामली को भी चाकू मारकर घायल कर दिया गया । घायलो को सिविल अस्पताल पानीपत उपचार हेतु ले जाया गया। दौराने उपचार देवेन्द्र उपरोक्त की मृत्यू हो गयी थी । घटना की सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण, थाना कैराना पुलिस व फील्ड़ यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये थे । मृतक के पुत्र की तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु 04 टीमो का गठन किया गया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 26.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे हत्या/लूट/अपहरण की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मामौर में हुई व्यक्ति की हत्या के मामले में वांछित 01 अभियुक्त सोबान पुत्र नासिर को गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्त सोबान की निशादेही पर थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत पंजीठ हाईवे की तरफ से मामौर जाने वाले रास्ते के पास से अवैध 01 मस्कट तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस (नाल में फसा हुआ) व अवैध छुरी बरामद हुई है ।गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा अभियुक्तगण नदीम व फरमान को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सोबान पुत्र नासिर निवासी ग्राम मामौर थाना कैराना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 मस्कट तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस (नाल में फसा हुआ) ।

2.अवैध 01 छुरी ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना कैराना जनपद शामली ।

2.उ0नि0 श्री राहुल देशवाल थाना कैराना जनपद शामली ।

3.उ0नि0 श्री इंतजार अहमद थाना कैराना जनपद शामली ।

4.है0का0 वीरपाल थाना कैराना जनपद शामली ।

5.का0 वीरप्रताप थाना कैराना जनपद शामली ।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 01 मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-</u>

1.-वर्ष 2018 में अभियुक्त मनोज पुत्र पवन कुमार निवासी मोहल्ला आर्यपुरी देहात थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 10/2018 धारा 278 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 26.06.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम, कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड से अदा न करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है ।